फर्द अहकाम

उषा जैन बनाम राज0 सरकार

पत्र संख्याः 204 /2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.07.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। TJR सांगानेर से जवाब प्रस्तुत प्राप्त शामिल किया गया। बहस सुनी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 CPC [illegible] प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] किया जाता है [illegible] शामिल पत्रावली [illegible] किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

ठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
र्थना पत्र संख्या : 204/2024
र्णय दिनांक :19.07.2024

ीमति उषा जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर 28, प्रहलाद
ॉलोनी, हनुमान ट्यूबवैल के पीछे, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर।

..... प्रार्थीया

बनाम

। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम
जसोदानन्दनपुरा उर्फ आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि गत खसरा
नम्बर 333 रकबा 2 बीघा बिस्वा की खातेदारी प्रार्थीया के 5 हकपूर्वाधिकारी थी। वर्तमान में
हुए हाल बंदोबस्त में भूमि के नये खसरा नम्बर बने तथा उसी अनुरूप नक्शे में भी परिवर्तन
हुआ, इस परिवर्तन के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के नये खसरा
नम्बर 572 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.48 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल
रकबा 0.54 हैक्टेयर बने। मैट्रिक प्रणाली के अनुसार पूर्व खसरा नम्बर 0.57 हैक्टेयर रकबा
होता है, परन्तु प्रार्थीया के हकपूर्वाधिकारी को रकबा बरारी के कारण 0.03 हैक्टेयर भूमि
रिकॉर्ड में कम दी गई। इस भूमि को प्रार्थीया ने जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 16.12.
2002 को क्रय कर ली। तत्पश्चात प्रार्थीया ने अपनी भूमि की धारा १० (बी) भू–राजस्व
अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करवाकर उसका औद्योगिक प्रयोजनार्थ किस्म परिर्वतन
करवा ली परिणामस्वरूप वर्तमान में भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम अंकित
है। नये खसरा नम्बर अनुसार वादग्रस्त भूमि का नक्शा भी बनाया गया जो नक्शा प्रार्थीया
की भूमि हाल खसरा नम्बर 572 व खसरा नम्बर 573 बने है का जो नक्शा बनाया गया है
वह पूर्व नक्शे के अनुरूप नही है अर्थात् प्रार्थीया के खाते में तो जमाबन्दी में उतना ही रकबा
लिखा हुआ है जितना उसे या उसके हकपूर्वाधिकारी को दिया गया है, परन्तु रकबें के
अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाया गया हाल नक्शा छोटा बनाया गया है जिसके कारण
इन दोनों खसरा नम्बरान को नक्शे अनुसार नापने पर रकबा कम बनता है परिणामस्वरूप
यदि भूमि की पत्थरगढ़ी अथवा सीमाज्ञान करवाया जाता है तो उसे राजस्व जमाबन्दी में
अंकित रकबें के अनुसार रकबा प्राप्त नही होता अर्थात् पूर्व नक्शें व वर्तमान नक्शें में काफी
भिन्नता हो गई है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के लिए पूर्व नक्शें के अनुसार हाल नकें में
परिवर्तन कराना तथा राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रकबें के अनुसार नक्शें में भी उतनी ही भूमि
प्राप्त करने के लिए संशोधन करवाना आवश्यक हो गया है, इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने
के लिए प्रार्थीया प्रार्थना–पत्र के साथ पुराना एवं हाल नक्शा का सुपर इम्पो़ज नक्शा प्रस्तुत
कर रही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया की दुरुस्त कर... न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत
धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्र... कि... है। राज्य सरकार द्वारा जारी
अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (183) Rev/D/56 दिनांक ...1956 जो राजस्थान गजट में
दिनांक 25.10.1956 को प्रकाशित हुआ के अनुसार धारा 131, 132, 136 भू–राजस्व
अधिनियम के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भू अभिलेख अधिकारी के अधिकार
सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों को प्रदत्त किये गये, इसके अनुसार न्यायालय को
प्रार्थना–पत्र सुनकर निर्णित करने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर बंदोबस्त द्वारा बनाये गये हाल नक्शे को पूर्व नक्शें के अनुरूप (प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सुपर इम्पोज नक्शे में दर्शायी गई स्थिति अनुसार) संशोधित करने की आज्ञा प्रदान कर तहसीलदार सांगानेर को तदानुसार नक्शें में आवश्यक तरमीम करने के निर्देश दिये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सांगानेर से जवाब प्राप्त, पत्रावली में शामिल मिसल है। तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया कि जसोदानन्दनपुरा उर्फ आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर कें मुतामिब मिलान क्षेत्रफल गत 333 रकबा 2 बीघा बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 572 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.48 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 334 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 569 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.69 हैक्टेयर तथा साबिका खसरा नम्बर 343 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 568 रकबा 0.54 हैक्टेयर बने है। गत नक्शा ट्रेस एवं हाल नक्शा ट्रेस से मिलान किया गया तब पाया कि हाल खसरा नम्बर 572, 573, 571 जो गत खसरा नम्बर 333 के नक्शे से मिलान हो रहा है। वर्तमकान नक्शा खसरा नम्बर 572 रकबा बरारी करने पर रकबा 0.05 तथा खसरा नम्बर 573 रकबा 0.3850, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.10 हैक्टेयर का रकबा होता है, इस प्रकार कुल रकबा 0.5350 हैक्टेयर ही होता है। उक्त ग्राम का गत व हाल नक्शा से सुपर इम्पोज करने से स्टष्ट है कि गत नक्शे के खसरा नम्बर 333 के दक्षिण भाग की ओर बढने पर खसरा इम्पोज सही होता दिख रहा है। तथा इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 334 का रकबा पूरा करने हेतु दक्षिण भाग की ओर बढता हुआ दिख रहा है, जिसकी प्रति रिपोर्ट के साथ प्रति संलग्न है।

बहस प्रार्थी सुनी गई, दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर बंदोबस्त द्वारा बनाये गये हाल नक्शे को पूर्व नक्शें के अनुरूप (प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सुपर इम्पोज नक्शे में दर्शायी गई स्थिति अनुसार) संशोधित करने की आज्ञा प्रदान कर तहसीलदार सांगानेर को तदानुसार नक्शें में आवश्यक तरमीम करने के निर्देश दिये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

बहस प्रार्थी एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांगानेर ने अंकित किया कि ग्राम जसोदानन्दनपुरा उर्फ आशावाला का गत नक्शा ट्रेस एवं हाल नक्शा ट्रेस से मिलान किया गया तब पाया कि हाल खसरा नम्बर 572, 573, 571 जो गत खसरा नम्बर 333 के नक्शे से मिलान हो रहा है। वर्तमकान नक्शा खसरा नम्बर 572 रकबा बरारी करने पर रकबा 0.05 तथा खसरा नम्बर 573 रकबा 0.3850, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.10 हैक्टेयर का रकबा होता है, इस प्रकार कुल रकबा 0.5350 हैक्टेयर ही होता है। उक्त ग्राम का गत व हाल नक्शा से सुपर इम्पोज करने से स्टष्ट है कि गत नक्शे के खसरा नम्बर 333 के दक्षिण भाग की ओर बढने पर खसरा इम्पोज सही होता दिख रहा है। तथा इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 334 का रकबा पूरा करने हेतु दक्षिण भाग की ओर बढता हुआ दिख रहा है। अतः तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को बंदोबस्त द्वारा बनाये गये हाल नक्शे को पूर्व नक्शें के अनुरूप संशोधित करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी [illegible] मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर